# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1760/2025

गोपाल गुप्ता

–अपीलार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.03.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गणेशपुरा तहसील पचपहाड में किया गया था। तभी से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण ओ.के. तहसील डग में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थानांतरण कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), झालावाड द्वारा किया गया है। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र दिनांक 30.10.1993 प्रेषित किया गया था जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि जिले में कार्यरत भू–अभिलेख निरीक्षकों का दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनका पूर्ण औचित्य बताते हुए सम्भागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जावे एवं अनुमति के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जावे। उनका आगे कथन है कि राजस्व मण्डल के उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण एक तहसील से दूसरी तहसील

में 2 वर्ष से पूर्व ही सम्भागीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश स्थगित रखा जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का मौखिक रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उनका यह भी कथन है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित दिशा–निर्देश दिनांक 30.10.1993 में दो वर्ष पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षकों का स्थानांतरण करने से पूर्व सम्भागीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक माना है, परन्तु प्रशासनिक कारणों से नियमानुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्व मण्डल के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

5. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण समयसिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य (2024 0 Supreme(Raj)851) निर्णित दिनांक 09.07.2024 में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में परिपत्र दिनांक 05.05.1988 व 30.10.1993 के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

> *"8. The petitioners are working on the post of Patwari, which is a transferable post. It is well-settled principle that transfer of a particular employee appointed to the class or category of transferable posts from one place to other is not only an incident, but a condition of service, necessary too in public interest and efficiency in the public administration. An employee cannot, as a matter of right, claim to remain posted at a particular place. So far as the circulars dated 05.05.1989 and 30.10.1993 are concerned, the same are not mandatory in nature and just a transfer policy. Furthermore, by the order dated 17.06.2024, of which petitioner Suresh Kumar is aggrieved, he has been transferred from Patwar Mandal Riyanbadi, Tehsil Riyanbadi to Patwar Mandal Bhanwal, Tehsil Riyanbadi, i.e. within the same Tehsil.*
>
> *Transfer is an implied condition of service and the power is always vested in the Government to transfer an employee in administrative exigency. In the case at hand the respondents have exercised this power for better administration. So far as the power to interfere in transfer orders is concerned, the law on the point is no more res integra in view of the catena of judgments passed by Hon'ble Apex Court."*

6. अतः उक्त नियम में यह माना गया है कि उक्त दिशा–निर्देश आज्ञापक प्रकृति के नहीं है, वो केवल स्थानांतरण नीति होना माना जा सकता है। उक्त निर्णय

में यह भी माना गया है कि स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग एवं सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नियमानुसार अपने कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकती है ताकि ठीक प्रकार से प्रशासन व्यवस्था रखी जा सके।

7. प्रकरण शिल्पी बोस एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1991 Supp (2) SCC 659) में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest. The High court over looked these aspects in interfering with the transfer orders."*

8. अतः उपरोक्त न्यायिक को दृष्टिगत रखते हुए हम पाते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण आदेश को परिपत्र दिनांक 30.10.1993 के आधार पर विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार प्रशासनिक कारणों से किया गया है। परिपत्र दिनांक 30.10.1993 केवल मात्र दिशा–निर्देश है, आज्ञापक प्रकृति के नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

| | |
|---|---|
| (चेतन राम देवड़ा)<br>सदस्य | (अनन्त भंडारी)<br>सदस्य (न्यायिक) |